उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या-24/09/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/2026/07-परीक्षा/2026

लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2026

शुद्धि-पत्र

उ0प्र0 के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन रिक्त 2285 पदों पर चयन हेतु प्रेषित अधियाचन के क्रम में आयोग द्वारा **विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08 के अंतर्गत** कुल **रिक्त 2285 पदों** पर चयन हेतु **दिनांक 30-03-2026** को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि 29-05-2026, ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 18-06-2026 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 25-06-2026 निर्धारित है।

विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, **विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/08** के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभागों के नियंत्रणाधीन **रिक्त 231 पदों** को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल **रिक्त 2516 पदों** पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

1-प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण वार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	लेवल-4, वेतनमान (न्यूनतम): 25500, वेतनमान (अधिकतम): 81000	06	03	00	04	01	14	स्थायी व अस्थायी
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	लेवल-5, ग्रेड-पे: 2800	02	00	00	00	00	02	स्थायी
3	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, वेतन बैंड-9300-34800, ग्रेड वेतन- 4200	01	00	00	00	00	01	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण वार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	05	03	00	03	01	12	स्थायी व अस्थायी
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी	लेवल-3 वेतनमान (न्यूनतम):21700, वेतनमान (अधिकतम): 69100, वेतन मैट्रिक्स 21700-69100 (वेतन बैण्ड-रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2000)	08	04	00	05	01	18	स्थायी
6	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (विशेष चयन)	लेवल-3 वेतनमान (न्यूनतम):21700, वेतनमान (अधिकतम): 69100, वेतन मैट्रिक्स 21700-69100 (वेतन बैण्ड-रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2000)	--	02	00	02	--	04	स्थायी
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	03	01	00	02	00	06	स्थायी व अस्थायी
8	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	-	02	00	02	-	04	स्थायी व अस्थायी
9	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	01	00	00	01	00	02	स्थायी व अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण वार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
10	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	03	02	00	01	00	06	अस्थायी
11	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	--	01	00	02	--	03	अस्थायी
12	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक	वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, वेतन बैंड: 2, ग्रेड-पे: 4200	41	22	02	27	10	102	स्थायी
13	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (विशेष चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, वेतन बैंड: 2, ग्रेड-पे: 4200	--	06	00	10	--	16	स्थायी
14	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800	13	02	00	14	03	32	स्थायी
15	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800	--	00	00	08	--	08	स्थायी
16	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक जेल डिपो	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	01	00	00	00	00	01	स्थायी

2-प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	00	00 (L.V.)	--	00 (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.),	--	--	00	02	00
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	00	--	--	--	--	--	00	00	00
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	00	--	--	--	--	--	00	00	00
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	00	--	--	--	--	--	00	02	00
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण) मद्यनिषेध विभाग (समज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.),	--	--	00	03	00
6	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण) मद्यनिषेध विभाग (समज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (विशेष चयन)	00	--	00 (H.H.)	00 (O.A.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.),	--	--	00	00	00
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक	00	00 (B.), (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L.), (B.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	00 (A.S.D.)	00 (M.D.)	00	01	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
8	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (विशेष चयन)	00	00 (B.), (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L.), (B.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	00 (A.S.D.)	00 (M.D.)	00	00	00
9	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	00	00 (B.), (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (B.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	00 (A.S.D.)	00 (M.D.)	00	00	00
10	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	00	--	--	--	--	--	00	01	00
11	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	00	00
12	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक	02	01 (L.V.)	01 (H.H.)	01 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (C.P.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	--	01 (M.D.)	05	20	02
13	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (C.P.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	--	00 (M.D.)	00	03	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
14	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक	00	01 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (C.P.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	--	00 (M.D.)	01	06	00
15	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (विशेष चयन)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (C.P.), (Dw.), (A.A.V.), (M.D.Y.)	--	00 (M.D.)	00	01	00
16	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक जेल डिपो	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A.), (O.L.), (L.C.), (Dw.), (A.A.V.)	--	--	00	00	00

3-दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)
- C.P. (सी0पी0)- Cerebral Palsy (प्रमस्तिष्क घात)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- A.S.D. (ए0एस0डी0)- Autism Spectrum Disorder (स्वपरायणता)
- M.Dy. (एम0डीवाई0)- Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)
- M.D. (एम0डी0)- Multiple Disability (बहु दिव्यांगता)

4 -अर्हता-

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **स्वागती** के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है; **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि; **(दो)** हिन्दी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता और इसके लिए उससे इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी, जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **सहायक भण्डार अधीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या **(तीन)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भौतिक प्रबन्धन (मैटेरियल मैनेजमेन्ट) में डिप्लोमा।
3	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **स्वागत अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक अर्हता होनी चाहिये। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-9 के अनुसार सेवा में स्वागत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अधिमानी अर्हतायें होनी चाहियेः- पत्रकारिता/जनसम्पर्क/जनसंचार में डिग्री/डिप्लोमा। न्यूज आइटम्स, हैण्ड आउट्स, बुकलेट लिखने एवं तैयार करने की क्षमता। किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्थान में जनसम्पर्क में क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश वक्फ विभाग लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के भाग-4 नियम-8(5) के अनुसार सेवा में **वक्फ निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक होना आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश वक्फ विभाग लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1999 के भाग-4 नियम-8(2) के अनुसार सेवा में **जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग कर्मचारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1999 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **अवर वर्ग सहायक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **प्रवर वर्ग सहायक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1995 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
8	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-9 एवं विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3610/7/2025, दिनांक- 10-07-2025 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या **(तीन)** लोक प्रशासन या प्रबन्ध में स्नातक डिप्लोमा, या **(चार)** कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होने के साथ-साथ एम0एस0आफिस और या अन्य किसी प्रचलित इन्वार्यमेन्ट जिसमें वर्ड प्रोसेसर/स्प्रेड शीट/डेटा बेसेस का प्रयोग होता हो में कार्य करने के योग्य होना चाहिए, जो आवश्यक कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) (पूर्ववर्ती DOEACC) "O" लेवल सर्टिफिकेट समतुल्य होगा।
9	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1993) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **विपणन निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 1993) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।
10	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **पूर्ति निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने- **(एक)** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक, जेल डिपो	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहःसम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **प्रबंधक, जेल डिपो** के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैः- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रय कक्ष में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव। (3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हता**- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहःसम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

5- आयु –

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	राज्य सम्पत्ति विभाग	स्वागती	उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग स्वागती संवर्ग सेवा नियमावली, 2023 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में स्वागती के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में, ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	सचिवालय प्रशासन विभाग	सहायक भण्डार अधीक्षक	उत्तर प्रदेश सचिवालय भण्डार अधीक्षक और सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 2016 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक भण्डार अधीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
3	उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद	स्वागत अधिकारी	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्वागत अधिकारी सेवा विनियमावली, 1999 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **स्वागत अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु भर्ती वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम **21 वर्ष** की आयु एवं अधिकतम आयु सीमा **40 वर्ष** होगीः परन्तु अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।
4	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	वक्फ निरीक्षक	सेवा में **वक्फ निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
5	मद्यनिषेध विभाग (समाज कल्याण)	जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में **जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
6	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	अवर वर्ग सहायक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	सेवा में **अवर वर्ग सहायक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये आयु उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जांय, पहली जुलाई को न्यूनतम **21 वर्ष** प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	प्रवर वर्ग सहायक	सेवा में **प्रवर वर्ग सहायक** के पद पर सीधी भर्ती के लिये आयु उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जांय, पहली जुलाई को न्यूनतम **21 वर्ष** प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
8	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधीनस्थ कार्यालय सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।
9	खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा)	विपणन निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (हाट शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **विपणन निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय **21 वर्ष** की होनी चाहिए और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
10	खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा)	पूर्ति निरीक्षक (सामान्य चयन व विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1993) के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **पूर्ति निरीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, **21 वर्ष** की हो जानी चाहिये और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
11	मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश	प्रबंधक, जेल डिपो	सेवा में **प्रबंधक, जेल डिपो** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026, दिनांक 30-03-2026 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेगें, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2026 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने/ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यथावत रहेंगी।

29.05.26

(हरिकेश चौरसिया)
सचिव।